

केन्द्रीय सूचना आयोग  
बाबा गंगनाथ मार्ग,  
मुनिरका, नई दिल्ली - 110067.

संचिका सं. CICOM/R/2018/50924

दिनांक 10.12.2018

सेवा में,

श्री वी. के. सिंह,

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक केन्द्रीय सूचना आयोग को संबोधित आपके दिनांक 03.12.2018 के ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. 1 एवं 2 के संदर्भ में अवगत करवाया जाता है कि यदि किसी लोक प्राधिकरण द्वारा कोई सूचना प्रदान नहीं की जाती है अथवा प्रदान की गई सूचना से किसी भी बिंदु पर पूर्णतः या अंशिक रूप से आप संतुष्ट न हों तो सूचना प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर उसी कार्यालय/विभाग के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी से वरीय अधिकारी जो प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में पदनामित हैं, के समक्ष प्रथम अपील दाखिल किया जाना चाहिए । अगर प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा भी कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जाती है या प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश से भी आप संतुष्ट न हों तब केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत कार्यरत लोक प्राधिकरणों (विभाग/कार्यालय) के संदर्भ में केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सरकार के अंतर्गत कार्यरत लोक प्राधिकरणों (विभाग/कार्यालय) के संदर्भ में संबंधित राज्य सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील दाखिल कर सकते हैं । द्वितीय अपील प्रपत्र के साथ लोक प्राधिकरण से अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किए गए पत्राचार की छायाप्रतियाँ (स्वअभिप्राप्तियाँ) संलग्न करना आवश्यक होता है, जिनमें सूचना प्राप्ति हेतु आर.टी.आई. आवेदन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना (यदि सूचना प्रदान की गई हो), प्रथम अपील आवेदन, प्रथम अपीलीय अधिकारी का आदेश (यदि दिया गया हो), पहचान पत्र की प्रति के साथ सभी संलग्नकों का क्रमांक (Index) सूची भी संलग्न करना आवश्यक है ।

सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत केन्द्रीय सूचना आयोग/राज्य सूचना आयोगों को संबोधित प्रपत्र के माध्यम से स्पष्ट कारण बताते हुए शिकायत दर्ज की जा सकती है । शिकायत पत्र के साथ भी लोक प्राधिकरण से सूचना अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किए गए पत्राचार की छायाप्रतियाँ संलग्न करना आवश्यक है ।

सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील अथवा शिकायत दाखिल करने हेतु कोई शुल्क देय नहीं है ।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील श्री आर. के. सिंह, अपर सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 पर की जा सकती है ।

(टी. बी. जे. एस. राजप्पा)  
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,  
आर.टी.आई.सेल  
दूरभाष - 011-26172690